



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 4 फरवरी, 2011/15 माघ, 1932

हिमाचल प्रदेश सरकार

योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जनवरी, 2011

संख्या पीएलजी-एफसी(एफ)1-9/94-540-IX.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव महाल **कैलाश नगर**, तहसील अम्ब, जिला ऊना में नंगल डैम से तलवाड़ा ब्रॉडगेज रेलवे लाईन (अम्ब अन्दौरा से दौलतपुर अनुभाग) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, जिला ऊना (सहायक उपायुक्त ऊना) हि0 प्र0 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	रकबा (हैक्टेयर)
ऊना	अम्ब	कैलाश नगर	3080 / 2833	0-01-75
			3081 / 2833	0-25-72
			2837	0-17-22
			2838	0-56-50
			2839	0-07-65
			2842	0-38-56
			2843	0-13-78
			2844	0-01-76
			2845	0-01-44
			2846	0-01-95
			2847	0-04-86
			2853	0-07-51
			2854	0-11-67
			2855	0-00-99
			2856	0-01-87
			2857	0-05-60
			2858	0-07-14
			2859	0-00-99
			2860	0-01-05
			2861	0-04-55
2862	0-08-73			
2863	0-43-84			
3082 / 2889 / 1	0-23-37			
3083 / 2889	0-86-23			
2890	0-16-51			
कित्ता (25)				3-91-24

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / -
प्रधान सचिव, योजना।

अपारम्परिक उर्जा स्रोत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 04 फरवरी, 2011

संख्या एन.ई.एस.—एफ—(5)—1/2010.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि शोभला हाइड्रो पावर लिमिटेड, शोभला कॉम्प्लैक्स, ढालपुर, कुल्लू, जिला कुल्लू के द्वारा अपने व्यय पर कम्पनी के निजी प्रयोजन हेतु नामतः फाटी पिछली कोठी मानगढ़ तथा फाटी दुन्खरीगाहर, तह0 व जिला कुल्लू हि0 प्र0 में ग्रामन्ग (5मै.वा.) लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव: एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस अभिकरण में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में उप-मण्डलाधिकारी एवं भू अर्जन समाहर्ता, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं0	रकबा (बीघों में)
कुल्लू	कुल्लू	फाटी पिछली कोठी मानगढ़	1384 / 1	02-07-03
			1385 / 1	00-05-07
			1416 / 1	00-05-05
			1418 / 1	00-00-15
			1421 / 1	00-16-13
			1422 / 1	00-00-16
			1423	00-03-00
			1424 / 1	00-02-16
			1425 / 1	00-11-05
			1426 / 1	00-04-19
			1606 / 1	00-03-06
			1605 / 1	00-02-18
			1593 / 1	00-03-12
			1594	00-04-00
			1595 / 1	00-01-16
			1608 / 1	00-07-09
1607 / 1	00-05-12			
1614 / 1	00-11-01			
1606 / 2	00-01-04			

1614 / 2	00-02-06
2231 / 1	00-04-10
2745 / 1	00-19-15
2746 / 1	00-11-13
2747 / 1	00-00-17
2748 / 1	00-06-07
2781 / 1	00-01-07
2783 / 1	00-00-18
2788 / 1	00-00-02
2793 / 1	00-00-12
2792 / 1	00-01-00
2806 / 1	00-01-07
2808 / 1	00-00-10
2809 / 1	00-00-10
2811 / 1	00-00-12
3121	00-01-00
3122 / 1	00-00-17
3123 / 1	00-00-09
3124 / 1	00-01-15
3129 / 1	00-03-08
3130 / 1	00-02-16
3193 / 1	00-03-05
3194 / 1	00-00-14
3196 / 1	00-00-18
3198	00-01-00
3191 / 1	00-00-04
3197 / 1	00-00-08
3199 / 1	00-00-14
3204 / 1	00-00-09
3202 / 1	00-01-04
3203 / 1	00-00-18
3208 / 1	00-01-00
3221 / 1	00-00-15
3209 / 1	00-00-05
3210 / 1	00-01-13
3218 / 1	00-01-10
3217 / 1	00-00-06
3216 / 1	00-01-01
3316	00-01-00
3314 / 1	00-00-03
3347 / 1	00-01-01
3348 / 1	00-01-08
3350 / 1	00-01-04
3351 / 1	00-00-16
3333 / 1	00-02-02
3334 / 1	00-00-06
3192 / 1	00-00-12
3320 / 1	00-00-10
3318 / 1	00-02-00

			3317 / 1	00-02-05
			3353 / 1	00-01-01
			3387	00-03-00
			3388	00-02-00
			3389	00-03-00
			3390	00-04-00
			3391	00-04-00
			3392	00-05-00
			3394	00-02-00
			3395	00-04-00
			3402	00-03-00
			3403	00-01-00
			3405	00-02-00
			3406	00-03-00
			3407	00-02-00
			3408	00-02-00
			3409	00-03-00
			3410	00-02-00
			3411	00-01-00
			3412	00-02-00
			3413	00-05-00
			3415	00-06-00
			4222	00-05-00
			3383	00-02-00
			3384	00-01-00
कुल्लू	कुल्लू	फाटी दुन्खरी गहर	2107	00-03-00
		कोठी दुघीलग	2108	00-01-00
			2109	00-01-00
			2110	00-02-00
			2114	00-11-00
			2095	00-10-00
किता- 99				कुल्लू रकवा 16-07-00

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / -
प्रधान सचिव (एन.ई.एस.)।

ब अदालत श्री लाजम सिंह, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री कमल दत्त सुपुत्र श्री होशियारा, निवासी समलेऊ, डाकघर खैरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा
(हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम कमल दत्त है, जोकि सही व दरुस्त है । लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल समलेऊ, पटवार वृत्त समलेऊ में गलती से कमल दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-2-2011 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7-1-2011को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

लाजम सिंह,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

**Before In the Court of Shri Ashwani Raj Shah, H. A. S. Sub-Divisional Magistrate, Churah,
District Chamba, Himachal Pradesh**

Shri Ashaq Ali son of Shri Asdullah, resident of Village Kundodi, P. O. Jungra, Pargana Tissa, Tehsil Churah, District Chamba, Himachal Pradesh .. *Applicant.*

Versus

General Public

.. *Respondent.*

Correction of Name.

Whereas Shri Ashaq Ali son of Shri Asdullah, resident of Village Kundodi, P. O. Jungra, Pargana Tissa, Tehsil Churah, District Chamba, Himachal Pradesh has filed an application with its enclosures affidavit and other relevant documents being a formalities etc. regarding correction and registration of name and entry in the concerned Panchayat i. e. Khajua of himself name Shri Ashaq ali @ Yashali.

Hence, the proclamation for publication to the General Public is issued, if someone objections/claims regarding correction and entry the name of Shei Ashaq Ali @ Yashali s/o Shri Asdullah resident of Village Kundodi, P. O. Jungra, Pargna Tissa, Tehsil Churah, District Chamba, Himachal Pradesh, they may file their objections/claims on or before one month i. e. 18-2-2011 of this notice, in the Court failing which necessary orders will be passed to the concerned Panchayat Khajua, Pargna Tissa, Tehsil Churah, District Chamba, Himachal Pradesh for registration.

Given today Churah the 12-1-2011 under my signature and seal of this Court.

Seal.

ASHWANI RAJ SHAH,
Sub-Divisional Magistrate,
Churah, District Chamba, Himachal Pradesh.

In the Court of Shri Rajeshwar Goel (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh

In the matter of :

Mr. Chhering Tandup s/o Sh Chhering Tashi, r/o H. No. 163/1, Village Lalung, Tehsil Spiti, District L & S, presently at Village Shuru, P. O. Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu, Himachal Pradesh with Mrs. Lobsang Dolma d/o Sh. Lobsang Tsering, r/o Camp No. I (Tibetan Refugees) Camp Tanzingang West Kameng District, Arunachal Pradesh, presently w/o Mr. Chhering Tandup s/o Sh Chhering Tashi, r/o H. No. 163/1, Village Lalung, Tehsil Spiti, District L & S, presently at Village Shuru, P. O. Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H. P.).

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Mr. Chhering Tandup s/o Sh Chhering Tashi, r/o H. No. 163/1, Village Lalung, Tehsil Spiti, District L & S, presently at Village Shuru, P. O. Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu, Himachal Pradesh with Mrs. Lobsang Dolma d/o Sh. Lobsang Tsering, r/o Camp No. I (Tibetan Refugees) Camp Tanzingang West Kameng District, Arunachal Pradesh, presently w/o Mr. Chhering Tandup s/o Sh Chhering Tashi, r/o H. No. 163/1, Village Lalung, Tehsil Spiti, District L & S, presently at Village Shuru, P. O. Prini, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H. P.) has presented an application on 7-9-2010 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of this marriage can appear in this court on 19-2-2011 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on 20-1-2011.

Seal.

RAJESHWAR GOEL,
Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

कार्यालय उप-मण्डल दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा:

श्री नोक सिंह पुत्र श्री चिन्त राम, गांव दाडूधार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.— प्रार्थना—पत्र बाबत सम्बन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में शादी दर्ज करने बारे।

श्री नोक सिंह पुत्र श्री चिन्त राम, गांव दाडूधार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि प्रार्थी ने श्रीमती मोरमा देवी पुत्री श्री छापे राम, गांव

नांही, डा0 गुशैणी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू के साथ दिनांक 17-6-2008 को शादी की है। प्रार्थी किसी कारणवश अपनी पत्नी की शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को श्रीमती मोरमा देवी का नाम ग्राम पंचायत खावल के रिकार्ड में दर्ज किए जाने बारे कोई एतराज/उजर हो तो वह असालतन/वकालतन इस अदालत में दिनांक 21-2-2011 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर आवे। हाजिर न होने की सूरत में अदालत द्वारा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अन्तिम आदेश पारित कर दिए जाएंगे। बाद में कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और न ही मान्य होगा।

आज दिनांक 19-1-2011 को मोहर अदालत व हस्ताक्षर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती अतरो देवी पुत्री श्री पतिया, निवासी ग्राम बाम्बल, डा0 कोटी उत्तरऊ, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 14-15 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती अतरो देवी पुत्री श्री पतिया ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी जन्म तिथि 31-12-1968 है परन्तु पंचायत रिकार्ड ग्राम पंचायत कोटी उत्तरऊ में उसकी जन्म तिथि 1968 दर्शायी गई है। जो कि गलत है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 3-3-2011 को इस कार्यालय/अदालत हजा स्थित शिलाई में असालतन अथवा वकालतन हाजिर आकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्रीमती अतरो देवी पर नियमानुसार कार्यवाही कर दी जाएगी।

आज दिनांक 15-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती नारदा देवी पत्नी श्री बालक राम, निवासी दभूड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती नारदा देवी पत्नी श्री बालक राम, निवासी दभूड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत

करके प्रार्थना की है कि उनका स्वयं श्रीमती नारदा देवी जिसकी जन्म तिथि 16-2-1969 है, का नाम नगर पालिका नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2011 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर नारदा देवी का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 10-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री गणेश बहादुर पुत्र श्री रूपा सिंह, निवासी कैन्ट एरिया नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री गणेश बहादुर पुत्र श्री रूपा सिंह, निवासी कैन्ट एरिया नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री Dhrithi Singh जिसकी जन्म तिथि 21-6-1991 है, का नाम नगरपालिका नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2011 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर Dhrithi Singh का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 12-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री किशन सिंह पुत्र श्री लच्छमी सिंह, निवासी सदड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री किशन सिंह पुत्र श्री लच्छमी सिंह, निवासी सदड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत

करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र भूपेन्द्र जिसकी जन्म तिथि 23-1-2009 है, का नाम ग्राम पंचायत कोलावाला भूड के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2011 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर भूपेन्द्र का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 13-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री किशन सिंह पुत्र श्री लछमी सिंह, निवासी सदड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री किशन सिंह पुत्र श्री लछमी सिंह, निवासी सदड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र रोहित जिसकी जन्म तिथि 6-9-2007 है, का नाम ग्राम पंचायत कोलावाला भूड के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2011 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर रोहित का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 13-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री किशन सिंह पुत्र श्री लछमी सिंह, निवासी सदड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री किशन सिंह पुत्र श्री लछमी सिंह, निवासी सदड़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत

करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र अंशूल जिसकी जन्म तिथि 15-12-2005 है, का नाम ग्राम पंचायत कोलावाला भूड के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 28-2-2011 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर अंशूल का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 13-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री प्रताप सिंह रान्टा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

कुमारी रीता देवी पुत्री श्री मोती राम, निवासी चौरी, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

कुमारी रीता देवी पुत्री श्री मोती राम, निवासी चौरी, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं (रीता देवी पुत्री श्री मोती राम) का जन्म मिति 7-7-1974 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2011 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 1-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

प्रताप सिंह रान्टा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री प्रताप सिंह रान्टा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री धनी राम पुत्र श्री मोती राम, निवासी चौरी, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री धनी राम पुत्र श्री मोती राम, निवासी चौरी, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं (धनी राम पुत्र श्री मोती राम) का जन्म मिति 9-11-1978 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2011 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 1-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

प्रताप सिंह रान्टा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री प्रताप सिंह रान्टा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

कुमारी अनिता पुत्री श्री टिक्का राम, निवासी चौरी, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

कुमारी अनिता पुत्री श्री टिक्का राम, निवासी चौरी, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं (अनिता पुत्री श्री टिक्का राम) का जन्म मिति 2-1-1984 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इशतहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10-2-2011 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 1-1-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

प्रताप सिंह रान्टा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।